सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0सं0 8/09 राजस्व वाद

1. रोहनसिंह पुत्र रोशनसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर (राज0) – मृतक

1/1– श्रीमति कैलादेवी पत्नि रोहनसिंह

1/2– सूरजसिंह पुत्र रोहनसिंह जातियान ठाकुर निवासी कस्बा डीग

1/3– केशरीसिंह पत्र रोहनसिंह नाबालिग व विलायत श्रीमती कैलादेवी पत्नि रोहनसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

1/4– श्रीमती विमला देवी पुत्री रोहनसिंह पत्नि हरीराम जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग हाल निवासी ग्राम गचौंडा तहसील व जिला मथुरा

1/5– श्रीमती मिथलेश पुत्री रोहनसिंह पत्नि कन्हैयालाल जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग हाल निवासी ग्राम गचौंडा तहसील व जिला मथुरा

–वादीगण

<u>बनाम</u>

1. छोटेलाल
2. अर्जुन पिस0 श्यामलाल जाति धोबी निवासी कस्बा डीग जिला भरतपुर
3. गुलाबसिंह
4. लक्ष्मणसिंह पिस0 रोशनसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग तहसील डीग
5. बल्देवसिंह पुत्र चांदसिंह कौम ठाकुर निवासी कस्बा डीग
6. हरीसिंह

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

7. चन्द्रपालसिंह

8. विजय प्रतापसिंह

9. मानसिंह पिस0 ज्ञानसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीग

11. चतरू पुत्र ओमकार जाति कोली निवासी सराय मौहल्ला पुरानी डीग

12. बल्देव पुत्र चांदसिंह जाति ठाकुर निवासी गोवर्धन गेट डीग

13. श्रीमती दक्खो पुत्री चांदसिंह पत्नि पूरनसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम जानू

14. श्रीमती जमुना पुत्री चांदसिंह पत्नि लक्ष्मन जाति ठाकुर निवासी जानू

15. श्रीमती मेवा पुत्री चांदसिंह पत्नि तालेवर जाति ठाकुर निवासी जानू

16. श्रीमती जयदेई पुत्री चांदसिंह पत्नि हरस्वरूप जाति ठाकुर निवासी जानू

17. गंगादेई पुत्री चांदसिंह पत्नि गोपालसिंह जाति ठाकुर निवासी गोवर्धन दरवाजा डीग भरतपुर (राज)

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88–89 व 92 (ए.) आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांकः– 02.01.2018

वादीगण ने यह दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88–89 व 92 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण का पिता रोशनसिंह फौत हो चुका है व उसके पूर्व रोशन चाचा वादी भी विला औरत व वारिस मर चुका है जिनके वादी व प्रतिवादीगण सं0 3 से 9 वारिस व काबिज जमीन जायदाद है और मुत0 मुझ वादी के हिस्से में आई है जिसको बो रहा हूँ। व मौके पर कब्जा है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मृतक पिता श्यामलाल को आराजी ख0नं0 1057/0.058 वाके कस्बा डीग राजस्थान सरकार से एलोटमेन्ट हुई थी जो मर चुका है और उसके बाद उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 1 व 2 जिनको मुकदमें में पक्षकारान बनाया गया है इसी प्रकार वादी वारिस व काबिज एसान साबिक खातेदार हैं। मृतक एलॉटी श्यामलाल के खिलाफ एलोटमेन्ट की शिकायत जिलाधीश भरतपुर

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

को कर दी गई थी क्योंकि आराजी मुत0 नगरपालिका क्षेत्र से लगी हुई है और नियमानुसार 5 मील के रैडियस में कोई एलोटमेन्ट नहीं हो सकता था। इसी विनाम पर उक्त एलोटमेन्ट के खिलाफ शिकायत चल रही है मगर इसी बीच एलोटी मर गया और उसका दाखिल खारिज प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम व हैसियत वारिस चढ़ चुका है इसलिए मौके पर न तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने कब्जा किया और न ही मृतक एलोटी ने कब्जा किया था मगर सैटिलमेन्ट विभाग ने हाल ही में वादी के मौके व कब्जे व इन्द्राज रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए प्रतिवादी नं0 1 व 2 को मात्र 0.06 एयर के रकबा को 0.60 एयर का रकबा बनाते हुए ख0नं0 1225 इजाद किया है जिसमें हम वादी का ख0नं0 1058 व राज्य सरकार का ख0नं0 1041 शामिल करते हुए नया नम्बर बना दिया है जो कि खिलाफ मौका व कब्जा है। ख0नं0 1041 मकबूजा महकमा इन्जीरियरिंग व 1057 बंजर कदीम है मात्र 1058 ही मुझ वादी का बारानी किस्म का व मौके पर चालू रकबा है मौके पर मुझ वादी कब्जे का रकबा 0.36 एयर है। वादी अपनी खातेदारी की आराजी ख0नं 1058 काअलग से नया नम्बरान बनाने का मुश्तहक है। सैटिलमेन्ट विभाग ने प्रति0 सं0 1 व 2 के एलोटशुदा रकबा में मिलाकर नया नम्बर 1225 बनाने में कानूनी गलती की है जिसको मौके के मुताबिक दुरुस्त करा पाने का मुस्तहक है। आराजी ख0नं0 1058 जिसका पुराना क्षेत्रफल 1 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी पटवार रिकॉर्ड में दर्ज है मौके पर हाल में करीब 36 एयर मेरे कब्जे में है का नया नम्बर बनाया जाने का मुश्तहक है। दौराने कार्यवाही दावा दिनांक 04.07.2007 को प्रति0 सं0 1 छोटेलाल ने बिना किसी अधिकार के आराजी ख0नं 1225/0.60 बाकै कस्बा डीग प्रथम के हिस्सा 1/2 का एक अवैध वयनामा प्रति0 सं0 11 चतरू पुत्र ओमकार के नाम गलत तस्दीक करा दिया है जबकि मौके पर उक्त खरीददार का और न ही विक्रेता छोटेलाल का ही कोई कब्जा रहा है और न अब है। इसलिए वादीगण के हिस्से की आराजी मुत0 का बिना किसी कानूनी अधिकार के कराया गया उक्त वयनामा प्रतिवादी शून्य व न काबिले पाबन्दी है। वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये दावा हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0नं0 1058 बाकै मौजा कस्बा डीग पर वादी का कब्जा व

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

हैसियत खातेदार है वादी का रकबा मौके के मुताबिक 0.36 एयर पर खातेदारी का घोषित किया जावे तथा हुकमइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वह रहन वय मुन्तकिल न करें व मजाहमत व मदाखलत न करें व ऐसा कोई कार्य करें जिससे हकूक वादी जायल हों।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जवाबदेही हेतु प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 व 2 मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये एवं उनके द्वारा जवाबदावा पेश कर कहा कि प्रति0 के पिता को दो आराजी ख0नं0 कस्बा डीग प्रथम में राजस्थान सरकार से एलोट हुए थे उन दोनों नम्बरों के हाल सैटिलमेन्ट में आराजी ख0नं0 1225/0.68 व 1164/0.15 बाकै कस्बा डीग प्रथम बने हैं उक्त नम्बरों पर पूर्व में प्रति0 फौत हो चुका है उसके फौत होने के बाद प्रति0 सं0 1 व 2 काबिज हैं एवं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वादी अपनी ताकत के बल पर गरीब की आराजी मुत0 को जबरन हड़पना चाहते हैं। वादी का कोई कब्जा आराजी मुत0 पर नहीं है न कभी रहा है। आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से रहन वय मुन्तकिल करने का पूरा अधिकार है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं0 11 ने अपने जवाबदावा में कहा कि हाल आराजी ख0नं0 1225 रकबा 0.60 बाकै कस्बा डीग प्रथम का 1/2 हि0 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया था उक्त खरीद के पश्चात् से ही प्रतिवादी सं0 11 का उक्त भूमि ख0नं0 1225 रकबा 0.60 के हिस्सा 1/2 पर कब्जा चला आ रहा है। वादी ने अपने वाद में जिला कलक्टर को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जबकि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जिला कलक्टर द्वारा किया जाता है और सैटिलमेन्ट विभाग को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। वादी को 88–89 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रिलीफ नहीं दी जा सकती है। प्रति0 सं0 11 ने प्रतिफल अदा कर जरिये रजिस्टर्ड वयनामा आराजी क्रय की है। जो मुताबिक कानून वैद्य है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

प्रति0 सं0 5 व 13 लगायत 18 ने अपना जवाबदावा पेश कर कहा कि सजरा अपूर्ण पेश किया है। वादीगण का 1/5 हि0 है एव हम प्रतिवादीगण का भी 1/5 हि0 है तथा प्रति0 सं0 3 व 4 का भी 1/5–1/5 हि0 है। ज्ञानसिंह का भी हिस्सा 1/5 है। ख0नं0 1225 वादी रोहनसिंह व उसके भाईयों की खातेदारी के ख0नं0 1058 को शामिल करते हुए नया नम्बर बना दिया गया है जो खिलाफ मौका व कब्जा है। ख0नं0 1058 का नया नम्बर बनाया जाना व हाल ख0नं0 1225 को मौके के मुताबिक दुरुस्त किया जाना स्वीकार है। ख0नं0 1058 को केवल वादी की खातेदारी का होना गलत दर्ज किया है जबकि इस आराजी में हम प्रतिवादीगण व प्रति0 सं0 3, 4 व ज्ञानसिंह के वारिसान का 1/5–1/5 हिस्सा है। वादीगण का भी मात्र 1/5 हिस्सा है। वादीगण व हम प्रतिवादीगण व अन्य सहकाश्तकारों की फसल आराजी मुत0 में है। हाल ख0नं0 1225 में से 0.36 हैक्टे0 पर वादी के हिस्सा 1/25 हम प्रतिवादीगण को हि0 1/5 व प्रति0 सं0 3 व 4 को 1/5 –1/5 एवं ज्ञानसिंह के वारिसान को हि0 1/5 का खातेदार घोषित करते हुए डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य भी पेश की जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सं0 2065 से 2068 बाकै ग्राम कस्बा डीग प्रथम के अवलोकनसे प्रकट है कि हाल आराजी ख0नं0 1225/0.60 अज किस्म डहरी दोयम पर अर्जुन पुत्र श्यामलाल हि0 1/2 कौम धोबी, चतरू पुत्र ओमकार हि0 1/2 कौम कोली सा0देह खातेदार इं.नं0 1201 के अंकन हैं। नकल भूप्रबन्ध विभाग सं0 2041 बाकै कस्बा डीग के अवलोकन से प्रकट है कि साबिक ख0नं0 1057 रकबा 8 विस्वा व 1058 व 1041 मि0 से हाल ख0नं0 1225/0.60 बनया जाना प्रकट है। नकल खसरा गिरदावरी सं 2039 से 2042 पर आराजी खं0नं0 1058 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा पर रैसान पुत्र किशनलाल कौम ठाकुर सा0देह खातेदार के अंकन है तथा ज्वार रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, गोचनी व बाजरा, चना के अंकन हो रहे हैं। नकल जमाबन्दी सं0 2045 बाकै कस्बा डीग प्रथम के अवलोकन से प्रकट है कि हाल आराजी ख0नं0 1164/0.15 व 1225/0.60 पर श्यामलाल पुत्र छिम्मन कौम धोबी सा0देह खातेदार इं.नं0 29 के अंकन है तथा नकल

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

जमाबन्दी सं0 2023 से 2026 बाकै कस्बा डीग आराजी ख0नं0 1058 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा पर रैसान पुत्र किशनलाल कौम ठाकुर सा0देह खातेदार के अंकन हैं तथा नकल वयनामा दिनांक 04.07.2007 से आराजी ख0नं0 1225/0.60 का 1/2 हि0 छोटेलाल पुत्र श्यामलाल जाति धोबी निवासी कस्बा डीग द्वारा चतरू पुत्र ओमकार जाति कोली निवासी डीग को विक्रय किया जाना प्रकट है। नकल जमाबन्दी सं0 2030 से 2033 बाकै कस्बा डीग के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 1057 रकबा 8 विस्वा पर श्यामलाल पुत्र चिम्मनलाल कौम धोबी सा0देह गैरखातेदार के अंकन हैं। नकल जमाबन्दी सें0 2030 से 2033 बाकै कस्बा डीग के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 1041 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा पर ग्यासिया बल्द नैनसुख चमार सा0देह गैरखातेदार साल 9 के अंकन है। नकल जमाबन्दी सं0 2014 बाकै मालपुर तहसील डीग में साबिक ख0नं0 2402 रकबा 11 विस्वा पर रोहनसिंह बल्द रोशन कौम ठाकुर सा0देह गैर मौरूसी साल 4 के अंकन हैं तथा ये ही अंकन जमाबन्दी सं0 2010 में हैं। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह स्पष्ट प्रकट है कि साबिक आराजी ख0नं0 1057 रकबा 8 विस्वा श्यामलाल बल्द चिम्मन कौम धोबी सा0देह गैरखातेदारी व खातेदारी की आराजी रही है। मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0नं0 1057 रकबा 8 विस्वा व 1058 व 1041 मि0 से हाल ख0नं0 1225/0.60 बनाया जाना प्रकट है। साबिक आराजी ख0नं0 1057 का रकबा मात्र 8 विस्वा है जिसका हाल माप में 7 एयर होता है जबकि प्रति0 के नाम सम्पूर्ण रकबा 0.60 पर खातेदारी दर्ज कर दी गई है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सं0 2023 से 2026 में साबिक ख0नं0 1058 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा रैसान पुत्र किशनलाल कौम ठाकुर सा0देह की खातेदारी की आराजी प्रकट है साथ ही प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह भी प्रकट है कि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता श्यामलाल के नाम साबिक आराजी ख0नं0 1057 रकबा 8 विस्वा थी जो कि रिकॉर्ड में मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0नं0 1057, 1058 व 1041 मि0 से बनाया गया हाल ख0नं0 1225/0.60 श्यामलाल के ही नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि हाल ख0नं0 1225 में साबिक ख0नं0 1058 का रकबा भी शामिल है। साबिक ख0नं0 1057 का रकबा मात्र 8 विस्वा है जो कि हाल मापय में 7 एयर होता है जबकि प्रति0 के नाम

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

सम्पूर्ण रकबा ख0नं0 1225/0.60 ही दर्ज हो गया है। वादीगण साबिक ख0नं0 1058 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा का रकबा भी हाल ख0नं0 1225/0.60 में ही शामिल होना प्रकट है। वादीगणय साबिक ख0नं0 1058 के रकबा 1 बीघा 7 विस्वा की माप से हाल ख0नं0 1225/0.60 के रकबा में से 1/2 हि0 से 22 एयर रकबा की खातेदारी शुद्ध करा पाने के अधिकारी पाये गये हैं। यानि की ख0नं0 1225/0.60 के 22/60 हि0 के अपने नाम आराजी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से 22 एयर तक प्रमाणित होता है। वादीगण उक्त ख0नं0 से 22 एयर की आराजी की खातेदारी की डिक्री पाने के अधिकारी पाये गये हैं। वादीगण का वाद काबिले डिक्री के है।

अतः आदेश है कि :-

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का वाद प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। वादीगण को हाल आराजी ख0नं0 1225/0.60 में से 22 एयर की आराजी यानि की ख0नं0 1225/0.60 के 22/60 हिस्सा बाके कस्बा डीग प्रथम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी से प्रति0 सं0 1 अर्जुन पुत्र श्यामलाल व प्रति0 सं0 11 चतरू पुत्र ओमकार के नाम के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की भी इजाजत दी जाती है। शेष आराजी के वर्तमान इन्द्राज यथावत रहेंगे। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त 22/60 हि0 की हद तक मजामहत व मजाखलत नहीं करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

नोट :- मुताबिक आदेश दिनांक 30.01.18 ... द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.18 के अंतिम क्रियात्मक भाग की लाइन सं0 4 में दर्ज प्रति0 1 अर्जुन के स्थान पर प्रति0 सं0 2 अर्जुन पढ़ा जावे

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

1. रोहनसिंह पुत्र रोशनसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर (राज0) – मृतक

1/1– श्रीमति कैलादेवी पत्नि रोहनसिंह

1/2– सूरजसिंह पुत्र रोहनसिंह जातियान ठाकुर निवासी कस्बा डीग

1/3– केशरीसिंह पत्र रोहनसिंह नाबालिग व विलायत श्रीमती कैलादेवी पत्नि रोहनसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

1/4– श्रीमती विमला देवी पुत्री रोहनसिंह पत्नि हरीराम जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग हाल निवासी ग्राम गचौंडा तहसील व जिला मथुरा

1/5– श्रीमती मिथलेश पुत्री रोहनसिंह पत्नि कन्हैयालाल जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग हाल निवासी ग्राम गचौंडा तहसील व जिला मथुरा

–वादीगण

बनाम

1. छोटेलाल
2. अर्जुन पिस0 श्यामलाल जाति धोबी निवासी कस्बा डीग जिला भरतपुर
3. गुलाबसिंह
4. लक्ष्मणसिंह पिस0 रोशनसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग तहसील डीग
5. बल्देवसिंह पुत्र चांदसिंह कौम ठाकुर निवासी कस्बा डीग
6. हरीसिंह
7. चन्द्रपालसिंह
8. विजय प्रतापसिंह
9. मानसिंह पिस0 ज्ञानसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीग
11. चतरू पुत्र ओमकार जाति कोली निवासी सराय मौहल्ला पुरानी डीग
12. बल्देव पुत्र चांदसिंह जाति ठाकुर निवासी गोवर्धन गेट डीग
13. श्रीमती दक्खो पुत्री चांदसिंह पत्नि पूरनसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम जानू
14. श्रीमती जमुना पुत्री चांदसिंह पत्नि लक्ष्मन जाति ठाकुर निवासी जानू
15. श्रीमती मेवा पुत्री चांदसिंह पत्नि तालेवर जाति ठाकुर निवासी जानू
16. श्रीमती जयदेई पुत्री चांदसिंह पत्नि हरस्वरूप जाति ठाकुर निवासी जानू
17. गंगादेई पुत्री चांदसिंह पत्नि गोपालसिंह जाति ठाकुर निवासी गोवर्धन दरवाजा डीग भरतपुर (राज)

–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88–89 व 92 (ए.) आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नं0 8/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिब पक्षकारान मिनजानिब अदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का वाद प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। वादीगण को हाल आराजी ख0नं0 1225/0.60 में से 22 एयर की आराजी यानि की ख0नं0 1225/0.60 के 22/60 हिस्सा बाकै कस्बा डीग प्रथम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी से प्रति0 सं0 1 अर्जुन पुत्र श्यामलाल व प्रति0 सं0 11 चतरू पुत्र ओमकार के नाम के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की भी इजाजत दी जाती है। शेष आराजी के वर्तमान इन्द्राज यथावत रहेंगे। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त 22/60 हि0 की हद तक मजामहत व मजाखलत नहीं करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी

(भरतपुर) राज

आज .... मुवलिंग ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर .... को सदी सालाना आज
की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह .... सन् ....
को जारी की गई। 01.01.18

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

मीजान	रूपया	पैसे	मुद्दालय	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2				
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प अरजी		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बावत इजराय हुक्मनामा			बावत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	2		मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

नोट – मुताबिक आदेश दिनांक 30.1.18 न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.18 के अन्तिम क्रियात्मक भाग के पेज नं० 4 पर दर्ज प्रतिवादी अर्जुन के स्थान पर प्रतिवादी अर्जुन पढा जावें।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.